न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 95/2017

दर्ज दिनांकः 26/04/2017

निर्णय दिनांक : 27/02/2018

जगदीश पुत्र रामजीवण जाति बारागांव ब्राहम्ण आयु 80 वर्ष, निवासीः ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

......प्रार्थी

बनाम

1. लादूराम पुत्र कालूरम जाति बारागांव ब्राहम्ण आयु 58 वर्ष, निवासीः फागी, तहसील फागी, जयपुर।
2. बजरंगलाल पुत्र कालूराम जाति बारागांव ब्राहम्ण आयु 55 वर्ष, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. शांति पत्नि स्व. कालूराम जाति बारागांव ब्राहम्ण आयु 80 वर्ष, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी</u>

उपस्थितः

श्री कृष्ण कुमार लखेरा एडवोकेट
श्री विनय जैन एडवोकेट
श्री गोविन्द सिंह पंवार एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री ओमप्रकाश शर्मा एडवोकेट
श्री वीरेन्द्र जोशी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ल. 3
अप्रार्थी सं. 4 की ओर से पैरो0 राज0 उप0।

निर्णय दिनांकः **27/02/2018**

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खतौनी संख्या 191 के आराजी खसरा नंबर 2506 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2507

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 2508 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2509 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2510 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2511 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 2512 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 2513 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2514 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम फागी उत्तर, पटवार हल्का फागी उत्तर, भू.अभि. नि.क्षेत्र फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है आराजी का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विवाद उत्पन्न करने लगे तो प्रार्थी ने आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान तहसीलदार फागी के सीमाज्ञान आदेश क्रमांक/भू.अभि./2437 दिनांक 02/06/2014 की पालना में दिनांक 15/10/2016 को पटवारी हल्का फागी उत्तर से सीमाज्ञान करवाया गया जब सीमाज्ञान पूर्ण मगर फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सीमाज्ञान को अनदेखा करने लगे तथा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शे में हुये सीमाज्ञान दिनांक 15/10/2016 को मध्यनजर रख पक्षकारो की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान प्रत्येक खेत की चारों भुजाओ की नाप मय फर्द नक्शे की दर्शाते हुये पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की एवं उक्त सीमाज्ञान में कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण द्वारा मिटा दिये गये है। अप्रार्थीगण नहीं चाहते है कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर सके जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते हुये प्रार्थी की आराजीयात के कब्जेकाश्त में आये दिन मजाहमत करते रहते है क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नहीं हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 15/10/2016 एवं आदेश क्रमांक/भू.अभि./2437 दिनांक 02/06/2014 को तहसीलदार फागी के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 15/10/2016 को हुई सीमाज्ञान एवं कायम किये गये निशानात को अप्रार्थीगण नहीं मानते तथा प्रार्थी से आये दिन लडाई झगडा मेर कोर को लेकर करते है तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थीगण विवाद उत्पन्न करते है इस कारण प्रार्थी को यह पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। सीमाज्ञान दिनांक 15/10/2016 एवं तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 15/10/2016 के अनुसार यदि प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो सकेगा एवं प्रार्थी को न्याय मिल सकेगा। प्रार्थी को दिनांक 15/04/2017 को अपनी आराजी को संभालने गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी की मेर कोर को ट्रेक्टर से जोतकर अपनी आराजी में मिला रहे थे प्रार्थी ने जबरन कब्जा करने व मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण ने साफ इंकार करते हुये कहा कि हम किसी सीमाज्ञान और पत्थरगढी को नहीं मानते है इस कारण से प्रार्थी को वाद कारण उत्पन्न हुआ है इसलिये प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिमी आया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 15/10/2016 तहसीलदार फागी क द्वारा पारित आदेश क्रमांक/भू.अभि./2437 दिनांक 02/06/2014 के पालना के अनुसार पटवारी हल्का फागी उत्तर के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा किये गये सीमाज्ञान दिनांक 15/10/2016 के मुताबिक खतौनी संख्या 191 के आराजी खसरा नंबर 2506 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2507 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 2508 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2509 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2510 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2511 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 2512 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 2513 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2514 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम फागी उत्तर, पटवार हल्का फागी उत्तर, भू.अभि. नि.क्षेत्र फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित आराजी की पत्थरगढी के आदेश फरमाये जावे इस आशय की तहरीर तहसीलदार फागी को भिजवाई जावे एवं आवश्यकता हो तो पुलिस थाना फागी को तहरीर भिजवाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री विरेन्द्र जोशी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैरोकार राज0 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि प्रार्थी को दिनांक 15.10.2016 को सीमाज्ञान करवा कर निशानात कायम करवा दिये गये है। उनवानी प्रकरण अंकित खसरा नंबर का पटवारी द्वारा मौके पर दिनांक 15.10.2016 सीमाज्ञान कराकर निशानात कायम करवा दिये गये तद्परांत यदि वादी की भूमि में अन्य व्यक्ति दखल करे तो नियमानुसार संबंधित न्यायालय में चाराजोही किया जाना उचित है, वादी पत्थरगढी करवाना चाहता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, जवाब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3, सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 15.10.2016, तहसीलदार फागी की रिपोर्ट इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मैनें यह पाया कि प्रार्थी खसरा नंबर 2506 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2507 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 2508 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2509 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2510 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2511 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 2512 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 2513 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2514 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा ग्राम फागी उत्तर, तहसील फागी, जिला जयपुर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.10.2016 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है।

चूंकि पक्षकारान के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद है जिसके स्थायी निराकरण के लिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की आराजीयात पर पत्थरगढी करवाना जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी आंशिक स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह खसरा नंबर 2506 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2507 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 2508 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2509 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 2510 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 2511 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 2512 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 2513 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नंबर 2514 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 24 बीघा 19 बिस्वा भूमि

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

ग्राम फागी उत्तर, तहसील फागी, जिला जयपुर की भूमि की सीमाओ पर मौके पर, सीमान्त समस्त काश्तकारान की उपस्थिति में, सहमति से पत्थरगढी की कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)